

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1365/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 14, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त,  
झांसी।

विषय:-

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ-गरौंठा-गुरसराय-झांसी राज्य राजमार्ग-42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौंठा (झांसी जनपद) (मिसिंग) लिंक किमी० 74.550 से किमी० 110.360 तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद-हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे० आरक्षित एवं 1.0684 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद-झांसी में प्रभावित 13.049 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2127 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 18.1854 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2554 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-1079/33-1, दिनांक 03.10.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 12.10.2022 को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में पत्रांक, तिथि व जिलाधिकारी की मोहर नहीं है तथा प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल भी गलत अंकित है। अतः प्रमाण पत्र में पत्रांक, तिथि व जिलाधिकारी की मोहर एवं सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में CA का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।
3. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में Patch wise detail for Degraded area में अपलोड किया गया NFL का विवरण, kml file, Geo Referenced Digital Map & SoI Toposheet त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट करें।
4. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NFL उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता एवं खतौनी संलग्न नहीं है।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की पी०डी०एफ०फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1365/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं झांसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।